

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6083 /

389

दिनांक:

28-4-2015

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,  
गुड़गांव ।

विषय: Diversion of 0.0217 ha. of forest land for access to residential group housing colony of M/s CHD Developers Ltd. along Fazilpur Jharsa road, km. 0-1, L/side, at Village Fazilpur Jharsa, under forest division and District Gurgaon, Haryana.

संदर्भ: वन संरक्षक, दक्षिणी का पत्र क्रमांक 64 दिनांक 9-4-2015 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है :-

1. CA Scheme.
2. Annexure - Scanned copy of the Geo-referenced map.
3. Toposheet- Survey of India.

कृपया उक्त ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण करें अर्थात सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करें और इस कार्यालय को सूचित करें । आपकी ओर से उक्त कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त ही प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही सम्भव होगी ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)  
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
पंचकुला ।

पृ0क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6083 /

390

दिनांक:

28-4-2015

एक प्रति वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव को भेजकर लिखा जाता है कि वन मण्डलों से प्राप्त प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजने से पहले उनमें ऑनलाईन कार्यवाही (चाहे वह वन मण्डल स्तर की हो या परिमण्डल स्तर की) सुनिश्चित कर लिया करें । अधूरी ऑनलाईन कार्यवाही वाले प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजने का कोई औचित्य नहीं है ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)  
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
पंचकुला ।